अभिषेक प्रिंटर्स, डूंगला-9413403527

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। वादी श्री कालु पिता नारायण जाट निवासी समेलिया महादेव (भोपाला) के अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार जोशी एडवोकेट द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला को जरिये राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाते हुए नाम शुद्धि एवं खातेदारी का पेश किया गया जिसके द्वारा निवेदन किया गया कि वादी के पिता का नाम नारायण लाल होकर उनकी मृत्यु काफी वर्ष पहले हो चुकी है वादी के नाम मौजा हथियाखेडी के खाता संख्या 157 आराजी नम्बर 1024/702 रकबा 1.5180 हैक्टेयर का वादी को आवंटन किया गया। वक्त आवंटन के आवेदन पत्र में कालु पिता नारायण लाल जाट निवासी समेलिया महादेव के नाम से ही आवेदन किया गया था उसी आवेदन पत्र के अनुसार दिनांक 20-6-1987 को भूमि का आवंटन वादी कालु पिता नारायण लाल जाट निवासी समेलिया महादेव को आवंटन किया गया है। आवंटन के आवेदन के अनुसार कालु पिता नारायण लाल के नाम से आवंटन आदेश जारी होना था किन्तु सहवन से आवंटन आदेश जारी करते समय भूल से नारायण लाल पिता कालु जाट के नाम से आदेश जारी हो गया तथा उसी अनुसार जरिये नामान्तरण के दर्ज हुआ। वादी कालु लाल वर्तमान समय मे जीवित है नारायण लाल की मृत्यु हो गई है। जबकि राजस्व रेकार्ड मे नारायण लाल पिता कालु दर्ज है जबकि कालु लाल खातेदार होकर उसके पिता का नाम नारायण लाल है। इसलिए कालु पिता नारायण के नाम की खातेदारी की घोषणा चाही गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद पत्र को बाद जांच दर्ज रजिस्टर प्रतिवादी भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला को जरिये सम्मन नोटिस वाद पत्र की प्राप्ति प्राप्त [illegible] जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार [illegible] क्रमांक राजस्व/2025/779 दिनांक [illegible] द्वारा जवाब पेश कर अवगत कराया गया कि आराजी नम्बर 1024/702 रकबा 1.5180 हैक्टेयर भूमि ग्राम हथियाखेडी की हाल नवीन जमाबन्दी अनुसार श्री	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:35:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नारायण पुत्र कालू जाट निवासी समेलिया के नाम
खातेदारी हक में दर्ज रिकार्ड है। जबकि भारती वादी को
आवंटन हुई थी आवंटन के समय वादी द्वारा प्रस्तुत
आवेदन पत्र में अंकित व्यक्ति (वादी) के अनुसार जब
आवंटन पुत्र भारती नम्बर 102 रकबा 6 बीघा भूमि कैनाल के
अभाव त्रुटिवश नारायण पिता कालू के नाम से आवंटन
हो गई। कालू पिता नारायण जाट वर्तमान समय में जीवित
है जबकि वादी के पिता नारायण का देहान्त हो चुका है।
ग्राम हरिमारखेड़ी में नारायण पिता कालू जाट के नाम से
अन्य कोई भूमि नहीं है। आवंटित भूमि पर वर्तमान समय
में कालू पिता नारायण जाट निवासी समेलिया का कब्जा
आ रहा है। इसलिए ग्राम हरिमारखेड़ी की जमाबंदी में अंकित
के खाता संख्या 157 में अंकित खसरा नम्बर 1024/102 (नवीन
खसरा) रकबा 1.8300 हे. भूमि दर्ज खातेदार का नाम
नारायण पुत्र कालू जाट के बजाय कालू पुत्र नारायण
जाट सा० समेलिया खातेदार दर्ज किया जाने की प्रार्थना
की गई है। इस सम्बन्ध में दिनांक 21.11.2025 को
वादी कालू एवं गवाह मोहनलाल, व कालू पिता रूपाजी के
द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4
सी.पी.सी. का पेश हुए जिन पर वादी एवं गवाहों के
बयान कराये गये। दस्तावेज प्रदर्श कराये प्रतिवादी के
अभिभाषक और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। इसलिए
वकील वादी की साक्ष्य बंद की गई। पत्रावली को बहस
आदेश में नियत की गई। वकील वादी की एक पक्षीय
बहस को सुना गया। वकील वादी ने बहस में
कथन किया गया कि भूमि आवंटन आदेश में गलती
से वादी की जगह पिता का नाम लिखा गया है जिसको
शुद्ध कर कालू पिता नारायण दर्ज करने की डिक्री
जारी की जाय। वकील वादी की बहस सुनने के
पश्चात पत्रावली का एवं संलग्न दस्तावेजों का
अवलोकन कर परीक्षण किया गया [illegible]
पाया गया कि तत्कालीन समय में भूमि आवंटन करते
समय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार
भूमि आवंटन आवेदन पत्र में तत्कालीन पटवारी हल्का
द्वारा कालू पिता नारायण के बजाय नारायण पिता

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

[illegible] के तहत आवंटन अभिलेखों
कालू की लिपिकीय त्रुटि के विपरीत कालू पिता नारायण
के नाम एवं वल्दियत के विपरीत कालू की अंकित की जाने
के बजाय नारायण पिता कालू की दस्तावेजों में नारायण पिता कालू
के भूमि आवंटन के दस्तावेजों में भूमि आवंटन के
आदेश अंकित होना राजस्व रिकार्ड एवं भूमि आवंटन के
दस्तावेजों से स्पष्ट हुआ है। जबकि नारायण पुत्र कालू नाम
का कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए मौजा हरिमारखेड़ी के
खाता संख्या 157 में अंकित नारायण पुत्र कालू जाट
के बजाय कालू पुत्र नारायण जाट सा० समेलिया अंकित
को खातेदार घोषित करने की घोषणा की जाती है।
इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया
जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री प्रपत्र मुताबिक
होकर संलग्न पत्रावली हो। निर्णय खुले न्यायालय
में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:35:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner